

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 303/2025
जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2025/518

प्रार्थीगण	विप्रार्थी
1.जितेन्द्रकुमार पुत्र मोहनलाल पालीवाल जाति पालीवाल निवासी पालीवालो का वास,पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा
2.अणदाराम चौधरी पुत्र जैराराम जाति कलबी निवासी असाड़ा त हसील पचपदरा व जिला बालोतरा	
3.मुकेश पटा पुत्र हनुमानराम जाति विश्नाई निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थिति-

- श्री भूपेन्द्र गहलोत,प्रार्थीगण अधिवक्ता
- विप्रार्थी अनुपस्थित।

:आदेश:

दिनांक- 29/09/2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी 1.जितेन्द्रकुमार पुत्र मोहनलाल पालीवाल 2.अणदाराम चौधरी पुत्र जैराराम जाति कलबी 3.मुकेश पटा पुत्र हनुमानराम जाति विश्नाई निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 422/276 क्षेत्रफल 1.7523 हैक्टेयर मौजा गोदारो की ढाणी तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या का खसरा संख्या 337/157 भूमि में से नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी तक 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।
03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय-पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी 377/157 मौजा गोदारो की ढाणी में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 422/276 तक चौड़ा रास्ता 30 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है।
04. हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 422/276 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए, जिसके अनुसार :-
05. ग्राम गोदारो की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 422/276 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 337/157 में से रास्ता दिए जाने पर कुल लंबाई 488 मीटर व चौड़ाई 30 फीट के आधार पर रास्ते हेतु कुल क्षेत्रफल 0.4461 हैक्टर बनती है। प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त ही दिए जाने की अनुशंसा की गई है।
06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार:-



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

- i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और
- ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

7. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 422/276 में आवागमन हेतु राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया है। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट के आधार पर 0.4461 हैक्टर बनता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है, इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित रास्ता ही दिया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

- 8 उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 337/157 में से कुल लम्बाई 488 मीटर व 30 फीट चौड़ाई के आधार पर रास्ते हेतु कुल रकबा 0.4461 हैक्टर भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर की प्रति बीघा की दुगुनी प्रतिकर हेतु देय कुल राशि-01,63,280/-रूपये बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा ग्राम गोदारो की ढाणी तहसील पचपदरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 422/276 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 337/157 हैक्टर में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कुल लम्बाई 488 मीटर व 30 फीट चौड़ाई के आधार पर रास्ते हेतु कुल क्षेत्रफल 0.4461 हैक्टर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 1,63,280/- (अक्षरे एक लाख तिरेसठ हजार दो सौ अस्सी) रूपयें की राशि विप्रार्थी को मौका रिपोर्ट में वर्णित अनुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर

लेख्य भंडार हो।



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी 29/09/2025
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 29/09/2025
बालोतरा